रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 2001/श्रावण 16, 1923
No. 213] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 2001/SRAVANA 16, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2001

सं. 14/1/2001-ईओयू.— वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं0 14/1/2001 दिनांक 19.6.2001 के अधिक्रमण में भारत सरकार एतद्द्वारा ईओयू/ईपीजैड और एसईजैड योजनाओं के लिए निम्नानुसार संयुक्त अनुमोदन बोर्ड का गठन करती है:-

1.	अपर सचिव, वाणिज्य विभाग	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	सदस्य
4.	सदस्य (सीमाशुल्क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड	सदस्य
5.	विदेश व्यापार महानिदेशक	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य

7.	सयुंक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
8.	एक प्रतिनिधि लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से	सदस्य
9.	संबंधित ईपीजैड/एसईजैड के विकास आयुक्त	सदस्य
10.	एक प्रतिनिधि आर्थिक कार्य विभाग से	सदस्य
11.	एक प्रतिनिधि शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय से	सदस्य
12.	एक प्रतिनिधि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से	सदस्य
13.	उप सचिव/निदेशक(ईओयू/ईपीजैड) वाणिज्य विभाग	सदस्य-सचिव

बोर्ड के अधिकार एवं कार्य

1. बोर्ड ईओयू/ईपीजैड/एसईजैड योजना के अंतर्गत ऐसे प्रस्तावों पर विचार करेगा जो समय-समय पर यथाअधिसूचित स्वतः अनुमोदन प्रक्रिया के दायरे में नहीं आते हैं ।

2. उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 14 के अंतर्गत आवश्यक अधिकारिता के अधीन रहते हुए बोर्ड, जहां लागू हो, वहां औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के आवेदनों पर भी विचार करेगा जहां इस प्रकार का लाइसेंस अनिवार्य है । ऐसे मामलों में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् कार्यवृत्त जारी किए जाएंगे । अनुमोदित कार्यवृत्त के आधार पर विकास आयुक्त आशय-पत्र जारी करेंगे और इसमें निहित शर्तों को पूरा करने पर इसे औद्योगिक लाइसेंस में बदल देंगे ।

3. सभी मामले विकासायुक्त द्वारा अपनी टिप्पणियों सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि एककों को केवल विकासायुक्त स्तर पर ही सम्पर्क करना पड़े ।

4. एनआरआई और ओसीबी द्वारा किए जाने वाले निवेश समेत विदेशी इक्विटी वाले ईओयू के उन मामलों पर कार्रवाई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा की जाती रहेगी, जो स्वतः अनुमोदन प्रणाली के दायरे में नहीं आते हैं । ऐसे मामलों में एफआईपीबी के अनुमोदन के लिए इकाइयां औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए) को सीधे ही आवेदन भेजेंगी जिसकी एक प्रति संबंधित विकास आयुक्त को भेजी जाएगी ।

जो मामले स्वतः अनुमोदन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, वे स्वतः अनुमोदन प्रणाली के तहत उपलब्ध सुविधा का लाभ उठाएंगे।

5. सार्वजनिक/निजी/संयुक्त अथवा राज्य क्षेत्र में एसईजैड/ईपीजैड की स्थापना करने के लिए सभी आवेदनों पर विचार करना और इस संबंध में समुचित सिफारिशें करना ।

6. एसईजैड तथा उसके किसी घटक के विकास, उसका रख-रखाव तथा प्रचालन करने हेतु अपेक्षित वस्तुओं एवं सेवाओं का अनुमोदन प्रदान करना ।

7. ईपीजैड/एसईजैड के विकास से संबंधित कोई अन्य मामला ।

टिप्पणी: सार्वजनिक/निजी/संयुक्त अथवा राज्य क्षेत्र में एसईजैड/ईपीजैड की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अलग से बैठक की जाएगी ।

8. बोर्ड अनुमोदन प्रदान करते समय कोई भी ऐसी शर्त निर्धारित कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे ।

9. बोर्ड अपने विवेक से अनुमोदन प्रदान कर सकता है अथवा उसकी मनाही कर सकता है ।

10. अध्यक्ष को इस बात के लिए प्राधिकृत किया जाता है कि यदि वह किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए ऐसा करना जरुरी समझें तो वह बोर्ड में पहले शामिल न किए गए किसी अन्य विभाग अथवा एजेंसी के किसी प्रतिनिधि को सहयोजित कर सकते हैं ।

डी. के. मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2001

No. 14/1/2001-EPZ.— In supersession of Ministry of Commerce and Industry Notification No. 14/1/2001 dated 19.6.2001, Government of India hereby constitutes combined Board of Approvals for EOU/EPZ and SEZ Schemes as under:-

1.	Additional Secretary Department of Commerce	Chairman,
2.	Joint Secretary Department of Commerce	Member
3.	Joint Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion	Member
4.	Member(Customs) Central Board of Excise and Customs	Member

5.	Director General of Foreign Trade	Member
6.	Joint Secretary, Ministry of Environment and Forests	Member
7.	Joint Secretary, Ministry of Science and Technology	Member
8.	A representative from Ministry of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries	Member
9.	Development Commissioner of the concerned EPZs/SEZs	Member
10.	A representative of Department of Economic Affairs	Member
11.	A representative of Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation	Member
12.	A representative of Central Board of Direct Taxes	Member
13.	Deputy Secretary/Director (EOU/EPZ) Department of Commerce	Member-Secretary

Powers and functions of the Board:

1. The Board shall consider proposals under EOU/EPZ/SEZ scheme that fall outside the automatic approval procedure as notified from time to time.
2. Subject to necessary empowerment under section 14 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the Board, wherever applicable, shall also consider applications for grant of industrial licence wherever such licence is compulsory. Minutes in such cases will be issued after approval of Department of Industrial Policy and Promotion. Based on the approved minutes the Development Commissioner shall issue the Letter of Intent and upon fulfillment of conditions therein convert the same into industrial licence.
3. All Cases would be submitted before the Board by the Development Commissioner along with his comments so that the units have a single

4. EOU cases involving foreign equity, including investment by NRIs and OCBs that fall outside the automatic route shall continue to be dealt with by the Foreign Investment Promotion Board (FIPB). In such cases, the units will apply directly to Secretariat for Industrial Assistance (SIA)) for FIPB approval with a copy to the Development Commissioner concerned.

Those falling under the automatic route shall avail themselves of the dispensation available under the automatic route.

5. Consider all application for setting up of SEZ/EPZ in the public/private/joint or State sector and make suitable recommendations in this regard.

6. Approve goods and services required for developing , maintaining and operating SEZ or any component thereof

7. Any other issues concerning development of EPZ/SEZ

Note: Separate meeting will be held to consider the proposal to set up SEZ/EPZ in the public/private/joint or State sector."

General

8. The Board may prescribe any condition, as it may consider necessary while granting approval.

9. The Board may in its discretion grant or refuse the approval.

10. Chairman of the Board may co-opt any representative of any other Department or agency not already included in it, if he finds it necessary for any specific purpose.

D. K. MITTAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.